न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ (चूरू)

नं0मु0 53/2021 लिखित दिनांक - 13/11/2024

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस.

रामसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति जाट निवासी ग्राम सूतोद तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर मोबाईल नंबर 9414288108

...... वादी

बनाम

1. गजेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खारिया बडा तहसील सुजानगढ जिला चूरू
2. नत्थूसिंह पुत्र स्व0 मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खारिया बडा तहसील सुजानगढ जिला चूरू
3. प्रहलादसिंह पुत्र स्व0 मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खारिया बडा तहसील सुजानगढ जिला चूरू
4. भवानीसिंह पुत्र स्व0 मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खारिया बडा तहसील सुजानगढ जिला चूरू
5. सोनूसिंह पुत्र स्व0 मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खारिया बडा तहसील सुजानगढ जिला चूरू
6. भागीरथसिह पुत्र स्व0 बजरंगसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खारिया बडा तहसील सुजानगढ जिला चूरू
7. भीकमचन्द पुत्र स्व0 मघराज जांति ब्राहमण (पुजारी) निंवासी ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू
8. सुमनदेवी पत्नी सांवरमल जाति ब्राहमण निवासी बसन्त बिहार कॉलोनी सीकर जिला सीकर राजस्थान
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सुजानगढ तहसील कार्यालय सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. श्री अंकित चौहान एडवोकेट वास्ते वादी
2. राज पैरोकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ जिला-चूरू

निर्णय

वादी की ओर से वादपत्र बाबत प्राप्त करने डिक्री घोषणात्मक कृषि भूमि विभाजन दुरूस्ती रिकार्ड प्रस्तुत किया गया कि हाल खसरा नंबर 479/353 तादादी 2.5037 हैक्टैयर व खसरा नंबर 256 तादादी 0.2276 हैक्टैयर व खसरा नंबर 270

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

तादादी 4.5522 हैक्टैयर हाल खसरा नंबर 295 तादादी 0.1390 हैक्टैयर कुल किता 4 कुल तादाद 7.4225 हैक्टैयर कृषि भूमि सीमा ग्राम खारिया बडा तहसील सुजानगढ जिला चूरू में स्थित है जिसमें खसरा नंबर 479/353 तादादी 2.5037 हैक्टैयर में वादी का 7/198 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 427/4950 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 427/4950 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 427/4950 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 427/4950 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 427/4950 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का 21/55 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का 5/33 हिस्सा एवं हा खसरा नंबर 256 तादादी 0.2276 हैक्टैयर हाल खसरा नंबर 270 तादादी 4.5522 हैक्टैयर हाल खसरा नंबर 295 तादादी 0.1390 हैक्टैयर कुल किता 3 कुल तादाद 4.9188 हैक्टैयर सीमा ग्राम खारिया बडा में वादी का 13/389 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 प्रत्येक का 572/9725 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का 508/1945 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 8 का 160/389 हि0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज स्थित है।

वादी ने सीमा ग्राम खारिया बडा तहसील सुजानगढ जिला चूरू के हाल खसरा नंबर 270 तादादी 18 बीघा (4.5522 हैक्टैयर) में से दिनांक 17.7.2000 को एक बीघा कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र श्रीमती रामकंवरी पत्नी स्व0 बजरंगसिंह राजपूत व उसकी अवयस्क पुत्री इन्दुकंवर पुत्री स्व0 बजरंगसिंह राजपूत के समस्त हिस्सा 1/6 में से 2/5 हिस्सा में से खरीद की थी खरीद के समय से ही 1 बीघा कृषि भूमि पर कब्जा वास्तविक रूप से वादी ने प्राप्त कर लिया था जो खरीद से अब तक लगातार चालू है तथा उक्त खरीद शुदा भूमि पर वादी फसल बोता,लाटता चला आ रहा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करते समय वादी का 20 हिस्सा समस्त खसरेजात खसरा नंबर 479/353 तादादी 2.5037,व खसरा नंबर 256 तादादी 0.2276 हैक्टैयर व खसरा नंबर 270 तादादी 4.5522 हैक्टैयर एवं खसरा नंबर 295 तादादी 0.1390 हैक्टेयर में 20 हिस्सा वादी का दर्ज कर दिया गया जबकि वादी ने खसरा नंबर 270 तादादी 18 बीघा (4.5522 हैक्टैयर) में से एक बीघा यानि 0.2529 हैक्टैयर कृषि भूमि खरीद की थी तथा खसरा नंबर 270 में ही खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गफलत एवं भूल से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की समस्त कृषि भूमि में 20 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया जिसको दर्ज करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था।

लगातार 3 पर

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ जिला-चूरू

प्रतिवादी संख्या 7 भीकमचंद पुत्र मघराज को प्रतिवादीगण एवं उनके परिवारजन द्वारा 1 बीघा 10 बिश्वा भूमि का विकयपत्र करवाया जिसका नामान्तरण दर्ज करते समय खसरा नंबर 479/353 में वादी का 7 हिस्सा दर्ज कर दिया एवं खसरा नंबर 256,270,295 में वादी का 13 हिस्सा दर्ज कर दिया गया हाल खसरा नंबर 270 के अलावा अन्य खसरेजात से वादी का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। वादी मात्र खसरा नंबर 270 तादादी 4.5522 हैक्टैयर में से 1 बीघा यानि 0.2529 हैक्टैयर में ही खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी अन्य खसरेजात में वादी की खातेदारी दर्ज नहीं होनी चाहिए थी। एवं अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना यही खातेदारी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये तथा खसरा नंबर 270 में से 1 बीघा भूमि खरीद की हुई का विभाजन करवाकर भूलवश दर्ज हुई खातेदारी को दुरूस्त करवाकर व खसरा नंबर 270 वाके सीमा ग्राम खारिया बडा तहसील सुजानगढ में दर्ज करवादे तथा मौका एवं कब्जा के अनुसार 1 बीघा कृषि भूमि यानि 0.2529 हैक्टैयर का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करवाकर अलग खाता व अलग लगान करवाये।

इस पर वादी का वादपत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी कर तलब किया गया प्रतिवादीगा संख्या 1 ता 8 बावजूद विधिवत तामिल होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं है तथा उनके खिलाफ दिनांक 5.5.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सुजानगढ ने दावा में राजहित प्रभावित नहीं होना अंकित किया है।

दिनांक 6.9.2023 को वादी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रकिया संहिता का पेश किया तथा निवेदन किया कि वाद प्रस्तुती के समय हाल खसरा नंबर 256 तादादी 0.2276 हैक्टैयर हाल खसरा नंबर 270 तादादी 4.5522 हैक्टैयर व हाल खसरा नंबर 295 तादादी 0.1390 हैक्टैयर एवं हाल खसरा नंबर 479/353 तादादी 2.5037 कुल किता चार कुल तादाद 7.4225 हैक्टैयर वाके सीमा ग्राम खारिया बडा तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्व रिकार्ड में दर्ज स्थित थी उपरोक्त दावा प्रस्तत करने के बाद न्यायालय में पूर्व से जैरकार एक अन्य वाद नंबरी 03/2021 अनवानी सुमनदेवी बनाम गजेन्द्रसिंह आदि निर्णय दिनांक 28.10.2022 का होकर डिकी फरमाई जाकर विभाजन होकर नया खाता संख्या 281 सुमनदेवी पत्नी सांवरमल प्रतिवादीनी संख्या 8 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

लगातार 4 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ जिला-चूरू सत्यमेव जयते

तथा हाल खसरा नंबर 256 एवं खसरा नंबर 270 विभाजित होकर 762/270 तादादी 1.7956 एवं हाल खसरा नंबर 763/270 तादादी 2.7566 हो गये व खसरा नंबर 762/270 तादादी 1.7956 सुमनदेवी के नाम दर्ज हो गया व खसरा नंबर 763/270 तादादी 2.7566 शेष खाता संख्या 143 रह गया। खसरा नंबर 270 तादादी 4.5572 हैक्टैयर जो तत्कालीन राजस्व रिकार्ड मुताबिक अंकित था लेकिन वर्तमान में खाता विभाजन हो जाने से खसरा नंबर 270 तादादी 4.5522 हैक्टैयर के नये हाल खसरा नंबर 763/270 तादादी 2.7566 हैक्टैयर व हाल खसरा नंबर 762/270 तादादी 1.7956 हो जाने से दावा में संशोधन फरमाया जावे तथा खसरा नंबर 270 तादादी 4.5522 हैक्टैयर अंकित है के स्थान पर लाल स्याही से हाल खसरा नंबर 763/270 तादादी 2.7566 अंकित किया जावे। एवं कुल तादाद 7.4225 के स्थान पर 5.3993 हैक्टैयर कुल 4 के स्थान पर कुल किता तीन अंकित किया जावे व दावा की मद संख्या 4 में प्रतिवादी संख्या 7 भीकमचंद पुत्र मघराम के स्थान पर मघराज दुरूस्त किया जावे। तथा वादी का प्रार्थनाप पर बहस सुनी जाकर दिनांक 15.3.2023 को प्रार्थनापत्र स्वीकार कर संशोधित वाद प्रस्तुत करने का आदेश किया गया व दावा में संशोधित वाद आदेशानुसार प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 26.6.2024 को वादी मय अधिवक्ता उपस्थित होकर दावे के समर्थन में बयान दर्ज करवाये तथा दस्तावेजात पर प्रदर्श डाले गये प्रमाणित प्रति जमाबंदी खाता संख्या 128 सीमा गाम खारिया बडा प्रदर्श–1 नक्सा खसरा नंबर 473/353 प्रदर्श–2 जमाबंदी खाता संख्या 143 प्रदर्श 3 नक्शा प्रमाणित खसरा नंबर 256 प्रदर्श 4 नक्शा 270 प्रदर्श–5 नक्शा की प्रमाणित प्रति 295 प्रदर्श 6 जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 प्रदर्श 7 जमाबंदी सम्वत् 2063 प्रदर्श 8 जमाबंदी सम्वत् 2059 प्रदर्श 9 जमाबंदी सम्वत् 2055–2059 प्रदर्ष 10 एवं वादी द्वारा ख़रीद किया गया पंजीयन विकयपत्र की फोटो प्रति प्रदर्श 11 ए एवं ज़माबंदी खसरा नंबर 295 व खसरा नंबर 763/270 सम्वत् 2075–2078 प्रमाणित जमाबंदी प्रदर्श–12 तथा वादी ने अपने बयान में खसरा नंबर 270 में से 1 बीघा भूमि खरीद करना बताया तथा कथन किया कि जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र दिनांक 17.7.2000 को खसरा नंबर 270 में से 1 बीघा भूमि खरीद की थी तथा एक बीघा भूमि सडक से चिपते आथूणी तरफ की कय की थी तथा खरीद की तारीख से अब तक काबिज हूँ खसरा नंबर 270 तादादी 4.5522 हैक्टैयर के कय के समय जिसके आसा पासा उतर में खेत मानाराम दक्षिण में रास्ता सडक खारिया बडा

लगातार 5 पर

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सुजानगढ़ जिला–चूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ जिला चूरू

रामसिंह बनाम गजेन्द्रसिंह आदि

नं0मु0 53/2021

से नोरंगसर पूर्व में सडक सुजानगढ से सीकर पश्चिम में खेत मोहनराम पुत्र उमाराम एवं रूपाराम पुत्र श्योजीराम का खेत थे अन्य खातेदारी वर्तमान में खाता विभाजन होकर खसरा नंबर 270 रकबा 4.5522 की बजाय 2.7566 रह गया तथा उक्त खसरा का नया खसरा नंबर 763/270 हो गया है। विभाजन किया जाकर अलग खातेदारी दर्ज की जावे वकील वादी की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली साथ मौजूद दस्तावेजात जमाबंदी,नक्शा,विकयपत्र दिनांक 17.7.2000 एवं समस्त दस्तावेज जमाबंदी आदि का अवलोकन किया। विकयपत्र दिनांक 17.07.2000 में वादी द्वारा 1 बीघा कृषि भूमि सड़क से चिपते आथूणी तरफ की खरीदने का स्पष्ट अंकन है व वर्तमान खसरा नबर 763/270 तादादी 2.7566 हैक्टैयर पूर्व के खसरा नंबर 270 तादादी 4.5522 हैक्टैयर का ही हिस्सा है व पूर्व न्यायालय द्वारा वाद संख्या 3/2021 अनवानी सुमनदेवी बनाम गजेन्द्रसिंह आदि के आदेश व डिकी के मुताबिक राजस्व रेकार्ड में अंकन हुआ है व वादी द्वारा विकयपत्र में 1 बीघा कृषि भूमि कय करना ही विकयपत्र से साबित है विकयपत्र के अवलोकन से खाता संख्या 143 में से 13 बिश्वा व दूसरे खाता संख्या 128 में से 7 बिश्वा कृषि भूमि का अंकन गलत हुआ है जो विकयपत्र एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट साबित है। उपरोक्त विवेचम से वादी का वाद डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है दावा डिकी किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि वादी ने खसरा नंबर 270 तादादी 18 बीघा (4. 5522 हैक्टैयर) ग्राम खारिया बडा तहसील सुजानगढ जिला चूरू में से हाल खाता संख्या 143 के खसरा नंबर 763/270 तादादी 2.7566 हैक्टैयर में से वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र दिनांक 17.7.2000 से 1 बीघा यानि 0.2529 हैक्टैयर कृषि भूमि सड़क से चिपते आथूणी तरफ की खरीद की थी हाल खसरा नंबर 763/270 न्यायालय हाजा की डिकी व विभाजन से नया बना है जो ख0नं0 270 का ही हिस्सा है। जिसका वादी खातेदार काबिज काश्तकार है हाल खसरा नंबर 763/270 वाके सीमा ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ में से वादी के 1 बीघा यानि 0.2529 हैक्टैयर कृषि भूमि सड़क से चिपती आथूणी तरफ का वादी के कब्जा व मौका के अनुसार विभाजन किया जाकर वादी अकेले के नाम अलग खाता व अलग लगान कायम किया जाता है उपरोक्तानुसार तहसीलदार सुजानगढ राजस्व रेकार्ड में अंकन करें वर्तमान राजस्व रेकार्ड शून्य व निष्प्रभावी है तहसीलदार सुजानगढ को अलग से आदेश जारी हो।

तहसीलदार सुजानगढ को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तुनार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/11/25 खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ
सुजानगढ

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6-7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्डअधिकारीमुकामसुजानगढ़

बइजलासश्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

रामसिंह बनाम गजेन्द्रसिंह आदि

दावा बाबत डिक्री घोषणात्मक, कृषि भूमि दुरस्ती रिकॉर्ड एवं कृषि विभाजन

मुकदमा न0 53 सन 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ....हाजरी श्री अंकित चौहान एडवोकेट, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 09 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादी ने खसरा नं. 270 तादादी 18 बीघा(4.5522) ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में से हाल खाता संख्या 143 के खसरा नं. 763/270 तादादी 2.7566 हैक्टेयर में से वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 17.07.2000 से 1 बीघा यानि 0.2529 हैक्टेयर कृषि भूमि सड़क से चिपते आथूणी तरफ की खरीद की थी हाल खसरा नं. 763/270 न्यायालय हाजा की डिक्री व विभाजन से नया बना है जो ख.नं. 270 का ही हिस्सा है। जिसका वादी खातेदार काबिज काश्तकार है हाल खसरा नं. 763/270 वाके सीमा ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ में से वादी के 1 बीघा यानि 0.2529 हैक्टेयर कृषि भूमि सड़क से चिपती आथूणी तरफ का वादी के कब्जा व मौका के अनुसार विभाजन किया जाकर वादी अकेले के नाम अलग खाता व अलग लगान कायम किया जाता है। उपरोक्तानुसार तहसीलदार सुजानगढ़ राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड शून्य व निष्प्रभावी है। तदनुसार परचा डिकरी जारी हो। प्रतिवादी संख्या 09 तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ....

आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक .... फीसदी सालाना

.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 **माह** 11 2024

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सत्यमेव जयते, सुजानगढ़ जिला–चूरू)

मुहर

दस्तखत उप खण्ड अधिकारी

ओहदा सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्पबकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।